

में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

K. C. Singh
महाशय,
12/09/22

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं मदन पंडित पिरा एच. सुकल पंडित

ग्राम दरियापट पो. झारोवा थाना दरियापट

जिला मुंगेर डा. मो. रुमरी निर्मा वडिगा 13 का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा रुमरी

2. थाना दरियापट

3. थाना नं० 12

4. खाता नं० 122

5. प्लॉट नं० 103

6. रकबा 0.20 एर

7. भूमि का किस्म रुमरी

8. अधतन रसिद नं० 0798725939 दिनांक 10/5/2021 @ 2021-22

9. दा० खारिज वाद संख्या 522/2008-2009

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण

पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अमारी रहूँगा ।

विश्वासमाजन

मदन पंडित

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....260/2022

आवेदक मदन पंडित पिता स्व० सुकर पंडित, साकिन-दरियापुर, पोस्ट-सारोबाग, थाना-जमालपुर जिला-मुगेर (बिहार) हाल मोकाम झुमरी तिलैया वार्ड सं०-13 द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
गुमो	12	127	103	20 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक12...../.....11...../2022 को प्रस्तुत करें।


05/11/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-122, प्लॉट सं०-103, रकवा-20 डी० भूमि मदन पंडित पिता स्व० सुकर पंडित के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-48 भाग सं०-32 पर दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-522 /2008-09 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-958 दिनांक-21.02.2007 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष- 2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-01 दिनांक-11.09.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-122, प्लॉट सं०-103, रकवा-20 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-122, प्लॉट सं०-103, रकवा-20 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


17/11/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

05.11.22

12.11.22

17.11.22